प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 01.09.2023

चेकिंग के दौरान 01 अवैध पिस्टल , 01 अवैध तमन्चा व जिन्दा/खोखा कारतूस एवं बिना नम्बर प्लेट की पल्सर मोटर साइकिल बरामद, 02 व्यक्ति गिरफ्तार, (थाना कन्धई)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में जनपद प्रतापगढ मे हुई अपराधिक वारदातो के अनावरण व सक्रिय अपराधियो के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के अन्तर्गत जनपद पुलिस द्वारा लगातार सूचना संकलन व सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे **कल दिनांक 31.08.2023 की जनपद के थाना कन्धई के उ0नि0 श्री महेश कुमार** मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र कन्धई के बनी नहर पुलिया के पास से 02 व्यक्तियों **01. नितिन तिवारी पुत्र हरिश्चन्द्र तिवारी नि0ग्राम रमगढ़ा थाना आसपुर दवेसरा जनपद प्रतापगढ़ 02. युवराज मिश्रा पुत्र स्व0 अजय मिश्रा नि0ग्राम एलाही थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़** को बिना नम्बर की पल्सर मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नितिन तिवारी के पास 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर एवं अभियुक्त युवराज मिश्रा के पास से 01 अवैध तमन्चा 312 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 312 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना कन्धई में **मु0अ0सं0 318/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत किया गया। पल्सर मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

01 नितिन तिवारी पुत्र हरिश्चन्द्र तिवारी नि0ग्राम रमगढ़ा थाना आसपुर दवेसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
02 . युवराज मिश्रा पुत्र स्व0 अजय मिश्रा नि0ग्राम एलाही थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

अभियुक्त नितिन तिवारी का आपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 44/2019 धारा 323,427,504, भादवि व 3(2)5ए SC/ST एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 126/2023 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 318/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त युवराज मिश्रा का आपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 317/2022 धारा 147, 148, 341, 427, 504, भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 318/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगीः-

01. 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर ।
02. 01 अदद तमन्चा 312 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 312 बोर ।
03. बिना नम्बर प्लेट पल्सर मोटर साइकिल।

पुलिस टीमः- उ0नि0 श्री महेश कुमार मय हमराह थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

लूट के अभियोग से सम्बन्धित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट का 4400 रुपये, रियलमी मोबाइल फोन व मोटर साइकिल बरामद (थाना पट्टी)-

जनपद के थाना पट्टी में पंजीकृत मु0अ0सं0 367/2023 धारा 394, 504, 411 भादवि से सम्बन्धित **04 अभियुक्तों 01. आकाश गौतम पुत्र हरिश्चन्द्र गौतम नि0ग्राम आनापुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ 02. दिवाकर गौतम पुत्र तीरथराज 03. विजय कुमार गौतम पुत्र राममिलन गौतम 04.पवन कुमार पुत्र संतकुमार नि0गण ग्राम सरसतपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़** को जनता के लोगो के मदद से थानाक्षेत्र पट्टी के रायपुर रोड़ के पास से पकड़े गये थे, जिन्हें थाना पट्टी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया व उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित **लूट का 4400** रुपये, रियलमी मोबाइल फोन व मोटर साइकिल बरामद की गई ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

01. आकाश गौतम पुत्र हरिश्चन्द्र गौतम नि0ग्राम आनापुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
02. दिवाकर गौतम पुत्र तीरथराज नि0ग्राम सरसतपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
03. विजय कुमार गौतम पुत्र राममिलन गौतम नि0ग्राम सरसतपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
04. पवन कुमार पुत्र संतकुमार नि0ग्राम सरसतपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी-</u>

लूट का 4400/- रुपये ।
लूट का रियलमी मोबाइल फोन।
लूट की मोटर साइकिल होण्डा टाइगर।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री संतोष कुमार पासवान मय हमराह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

<u>लूट के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट का 5000/- रुपया व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद (थाना उदयपुर)</u>

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद के थाना उदयपुर से उ0नि0 श्री दिनेश कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र उदयपुर के मंगापुर मोड़ के पास से **थाना उदयपुर के मु0अ0सं0 121/23 धारा 394 भादवि** से सम्बन्धित अभियुक्त **अजय कुमार पुत्र रामकुमार मिश्रा नि0ग्राम पूरेबसन्दर मजरा मंगापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़** के पास से **लूट का 5000/-** रुपया व घटना में प्रयुक्त बजाज प्लेटिना मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग उपरोक्त में **धारा 411 भादवि** की बढ़ोत्तरी की गई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

अजय कुमार पुत्र रामकुमार मिश्रा नि0ग्राम पूरेबसन्दर मजरा मंगापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगीः-</u>

01. लूट का 5000/- रुपया ।
02. घटना में प्रयुक्त बजाज प्लेटिना मोटर साइकिल।

<u>पुलिस टीम-</u> उ0नि0 श्री दिनेश कुमार मय हमराह थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ।

<u>लूट के अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट का 3000/- रुपया, एंड्रायड मोबाइल फोन, एटीम/पैन कार्ड/आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद (थाना फतनपुर)</u>

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में जनपद प्रतापगढ मे हुई अपराधिक वारदातो के अनावरण व सक्रिय अपराधियो के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के अन्तर्गत जनपद पुलिस द्वारा लगातार सूचना संकलन व सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे जनपद के **थाना फतनपुर से उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव व0 उ0नि0 श्री परबिन्द शर्मा, उ0नि0 श्री राजेन्द्रराम** मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र फतनपुर के जगतपुर मोड़, तिराहा के पास से थाना फतनपुर के मु0अ0सं0 **188/23 धारा 392 भादवि** से सम्बन्धित 03 अभियुक्त **01. जितेन्द्र सरोज पुत्र रामपाल सरोज नि0ग्राम जुड़ऊपुर थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर 02. शनि सरोज पुत्र रामकृपाल सरोज नि0ग्राम गौरा पूरे बदल(डीह) थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ 03. अभिषेक यादव पुत्र रामराज यादव नि0ग्राम बेहदौल खुर्द थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से अभियोग से सम्बन्धित लूट का 3000/- रुपया व एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एटीम/पैन/आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व घटना में प्रयुक्त सुपर स्पलेण्डर मोटर साइकिल बरामद किया गया । उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग उपरोक्त में **धारा 411 भादवि** की बढ़ोत्तरी की गई तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को **धारा 207 एमवी एक्ट** में सीज किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

01. जितेन्द्र सरोज पुत्र रामपाल सरोज नि0ग्राम जुड़ऊपुर थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर।

02. शनि सरोज पुत्र रामकृपाल सरोज नि0ग्राम गौरा पूरे बदल(डीह) थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

03. अभिषेक यादव पुत्र रामराज यादव नि0ग्राम बेहदौल खुर्द थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग आपस में दोस्त हैं तथा अपने शौक पूरा करने के लिए अकेले सुनसान जगह से आने जाने वाले लोगो को निशाना बनाकर उनको मोबाइल तथा पर्स आदि छीन लेते हैं। मोबाइल को बेचकर तथा पर्स से मिले रूपयो को आपस में बांट लेते हैं तथा बटवारे में मिले रूपयो से अपने शौक पूरे करते हैं। यह जो सामान तथा पैसे मिले हैं हम लोगो ने **दिनांक 30.08.2023** को गौरा रेलवे स्टेशन रोड पर पैदल जा रहे एक आदमी से इसी मोटर साइकिल से छीन लिए थे। हम लोगो के साथ हमारा एक दोस्त और भी था। पर्स में मिले 4000 रुपए को हम लोगो ने 1000 - 1000 रुपए आपस में बांट लिया था, बरामद रुपए लूट के हैं जो हम लोगो को पर्स में मिले थे। एक कीपैड मोबाइल दूसरे साथी के पास रखा।

<u>बरामदगीः-</u>

01. लूट का 3000/- रुपया।

02. लूट का एंड्रॉयड मोबाइल फोन।

03. एटीएम/पैन कार्ड/आधार कार्ड।

04. घटना में प्रयुक्त सुपर स्पलेण्डर मोटर साइकिल।

<u>पुलिस टीम-</u> उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव व0 उ0नि0 श्री परबिन्द शर्मा, उ0नि0 श्री राजेन्द्रराम मय हमराह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ।